सर्व शिक्षा अभियान में आंगनबाड़ी कार्यक्रम के योगदान का अध्ययन

स्वीटी रस्तौगी
असिस्टेंट प्रोफेसर
बीकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
मेरठ (उ.प्र.)

सारांशिका

शिक्षा समाज का दर्पण है। अतः समाज का दायित्व है कि वे अपने बच्चों के लिए अच्छी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करें। सर्व शिक्षा एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्ता परक प्रारंभिक शिक्षा का एक अच्छा साधन है। सर्व शिक्षा अभियान में आंगनबाड़ी केन्द्रों के सहयोग से बालकों के नामांकन स्तर में वृद्धि व इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध मूलभूत आवश्यकताओं का कितना सहयोग रहता है यह प्रस्तुत शोध के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष में पाया गया है कि प्रतिदर्श क्षेत्र दौराला तथा हस्तिनापुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों की सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। औसतन प्रति केन्द्र पंजीयन भी कम है। शोधकत्री का सुझाव है कि भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में जो कमी पाई गई उनमें सुधार करके इन केन्द्रों पर शत–प्रतिशत नामांकन किया जाए जिनमें हमारे देश के होनहार बालकों को शिक्षा की मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

मुख्य शब्दः आँगनबाड़ी, सर्व शिक्षा अभियान, सार्वभौमीकरण

प्रस्तावना

किसी देश की जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग बच्चे होते हैं। बच्चों के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। अतः प्रत्येक समाज का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करें। शिक्षा का संस्कृति से बहुत गहरा संबंध रहा है और वस्तुतः शिक्षा हमारी संस्कृति के संरक्षण, परिपोषण, उन्नयन और अगली पीढ़ी के हस्तांतरण की एक प्रक्रिया मानी जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रयासों को पर्याप्त गंभीरता से लिया गया भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उनके मौलिक अधिकार के रूप में 21ए के तहत घोषित किया गया है। यह सब सामाजिक जागरूकता का परिचायक माना जाता है।

केन्द्र सरकार द्वारा एक देशव्यापी कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के नाम से चलाया जा रहा है, जो सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देने के साथ–साथ समुदाय आधारित एक समग्र कार्यक्रम है। मूलतः सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे उच्च गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकें। नई शिक्षा नीति 1988 तथा इसकी कार्ययोजना के तत्वाधान में केन्द्र सरकार के प्रयास से फ्शिक्षा सबके लिएय् नाम से यह अभियान चलाया गया। बाद में इसका नाम सर्व शिक्षा अभियान रख दिया गया।

सर्वशिक्षा अभियान एवं आंगनबाड़ी

सर्व शिक्षा अभियान समुदाय के स्वामित्व द्वारा और विद्यालयी निष्पत्ति में सुधार करके देश के 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को गुणवत्ता परक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का एक अच्छा साधन है। इसी क्रम में बाल विकास एवं शिक्षा आंगनबाड़ी केन्द्रों का महत्वपूर्ण स्थान हैं आंगनबाड़ी केन्द्र बाल विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएँ हैं अनुपूरक आहार टीकाकरण, स्वास्थ्य, जांच, और आगे अस्पतालों को भेजना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

एक राष्ट्रीय योजना के रूप में एसएसए की योजना देश के सभी जिलों में लागू की जा सकती है। एसएसए के तीन मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं–

- 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों, ब्रिज पाठयक्रमों में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
- सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर समाप्त करना।
- 2010 तक सभी के लिए शिक्षा।

आंगनबाड़ी के उद्देश्य

- 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चो के पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।
- बच्चों के मनोवैज्ञानिक शारीरिक तथा सामाजिक विकास हेतु उचित आहार प्रदान करना।
- मृत्युदर, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने की दरों में गिरावट लाना।
- बाल विकास हेतु विभिन्न नीति एवं क्रियान्वयन के मध्य संयोजन को प्राप्त करना।
- उचित पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों की पोषण आवश्यकताओं तथा उनके सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल हेतु गर्भवती तथा धात्री महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करना।

आंगनबांड़ी योजना कार्यक्रम

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित सिद्धांत बताए गए हैं–खेल सीखने के आधार कला शिक्षा के आधार के रूप में शिशुओं के अनुभव को प्राथमिकता, औपचारिक तथा अनौपचारिक अंतःक्रियाओं का सम्मिश्रण पाठय वस्तु का संस्कृति से समन्वय, विकासोन्मुखी उचित अभ्यास एवं लचीलापन, सदव्यवहार

एवं स्वस्थ आदतों का निर्माण दैनिक कार्यक्रमों में खेल वार्तालाप, कहानी नाटक सामूहिक खेल, सामूहिक गीत नृत्य, भूमिका अभिनय, इंद्रिय जागरूकता शारीरिक विकास हेतु गतिविधियाँ

समस्या कथन

'सर्व शिक्षा अभियान में आंगनबाड़ी कार्यक्रम के योगदान का अध्ययन।'

प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

1. सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान से हमारा तात्पर्य सभी के लिए शिक्षा अथवा सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना ही सर्व शिक्षा है।

2. आंगनबाड़ी

आंगनबाड़ी शब्द से हमारा तात्पर्य है आंगन–आश्रय।

शोध कार्य के उद्देश्य

1. सर्व शिक्षा अभियान में आंगनबाड़ी केन्द्रों की भूमिका का अध्ययन करना।
2. आँगनबाड़ी कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जा रही मूलभूत सुविधाओं का अध्ययन करना।
3. योजना में व्याप्त कमियों की शैक्षिक क्रियाओं एवं अन्य उत्तरदायित्व का विश्लेषण करना।

शोध परिकल्पना

प्रस्तुत शोध कार्य की निम्नलिखित परिकल्पनाएँ प्रतिपादित की गई–

1. आँगनबाड़ी कार्यक्रम का बालकों के नामांकन स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध प्रक्रिया

समस्या का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने एवं उसे पूर्ण रूप प्रदान करने हेतु अनिवार्य होता है उसमें समस्या के अनुरूप ही विधि का चयन किया जाए। अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत सी विधियाँ प्रचलित है। जैसे–ऐतिहासिक विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि आदि। प्रस्तुत लघु शोध में शोधकत्री ने अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का चयन किया। प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनसंख्या के रूप में मेरठ जनपद के दौराला व हस्तिनापुर विकासखंड के आंगनबाड़ी केन्द्रों को सम्मिलित किया गया। इनमें से शोधकत्री ने 9 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले कुल 197 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से देव निर्दशन द्वारा प्रत्येक विकास खंड के केवल 10–10 कुल 20 आंगनबाड़ी केन्द्रों का सर्वेक्षण करना सुनिश्चित किया। शोधकत्री ने प्रदत्तों के संकलन के लिए स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया।

शोधकत्री ने उपयुक्त न्यादर्श का चुनाव किया तथा आंकड़ों को संग्रहीत करने हेतु स्वनिर्मित उपकरण का निर्माण किया। एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए शोधकत्री ने उपकरण के आधार पर अध्ययन किया। प्राप्त आकड़ों को श्रेणी वार प्रतिशतों में विभाजित किया गया और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गये।

शोध परिणाम

पहली परिकल्पना थी कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम का बालकों के नामांकन स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है जिसके परीक्षण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर कुल 20 आंगनबाड़ी केन्द्र की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से संपर्क किया तथा उनका साक्षात्कार करते हुए बच्चो के नामांकन संबंधी आंकड़े एकत्र किए। एकत्रित आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकित बालकों के नामांकन में अंतर है। नामांकन शत–प्रतिशत नहीं है। दौराला ब्लॉक के नामांकन 90 प्रतिशत तथा हस्तिनापुर ब्लॉक में 80 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट हुआ कि आंगनबाड़ी योजना के प्रति दौराला ब्लॉक के लोग अधिक जागरूक है। शत–प्रतिशत प्रवेश हेतु प्रयास की आवश्यकता है।

दूसरी परिकल्पना विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का अध्ययन किया इसके लिए शोधकत्री ने आंकड़े एकत्रित किये और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की सुविधाओं की स्थिति में सार्थक अंतर है। यहाँ की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इनमें रोशनी, पर्याप्त स्थान बिजली, शौचालय, स्वच्छता तथा आडियो उपकरणों की पर्याप्त कमी है।

निष्कर्ष, व्याख्या एवं सुझाव

प्रतिदर्श क्षेत्र दौराला तथा हस्तिनापुर दोनों ही विकासखंड है। दोनों ब्लॉक औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। दोनों विकास खंडों में शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ सामान्य है प्रतिदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों की सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है जिनमें रोशनी, स्थान, बिजली, शौचालय, स्वच्छता तथा ऑडियों वीडियों उपकरणों की पर्याप्त कमी है। यहाँ तक कि अधिकांश केन्द्र गंदे है और बच्चों के खेलने के लिए स्थान की पर्याप्त कमी है। अधिकांश भवन कच्चे–पक्के अर्थात मिश्रित है और उनमें बरामदा तक नहीं है। इन केन्द्रों में टाट–पट्टी फर्नीचर तथा स्टेशनरी भी अपर्याप्त पाई गई। औसतन प्रति केन्द्र 78 बच्चे पंजीकृत पाए गए।

आंगनबाड़ी केन्द्र भी बच्चों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का केन्द्र होता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को निर्भय, ज्ञानी, सक्षम और समृद्ध बनाता है। किन्तु जिस तरह के आंगनबाड़ी भवनो में शिक्षा दी जाती है। उससे ज्यादा कौशल विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बच्चों के पढ़ने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं बिजली, साफ पेयजल का पुख्ता इंतजाम नहीं है। सुरक्षा हेतु बच्चों के बाउंड्री वॉल व गेट की कमी है। कुल मिलाकर बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

सुझाव

प्रस्तावित शोध अध्ययन शहरी क्षेत्रें के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भी किया जा सकता है, इसे व्यापक रूप में राज्य स्तर पर किया जाए तो अधिक उत्तम होगा। सर्व शिक्षा अभियान का प्रशासनिक वित्तीय उपयोगिता का अध्ययन किया जा सकता है। आंगनबाड़ी के आदिवासी केन्दों व शहरी क्षेत्रों के सुव्यवस्थित केन्द्रों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है।

शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्तमान समय में एक आशा की किरण है जो हमारे विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास और स्वर्णिम भविष्य की नींव के रूप में प्रस्तुत है। इसमें बाल केन्द्रित गतिविधियों, खेल–खेल में शिक्षा, परीक्षा के डर से दूर, भयमुक्त वातावरण में शिक्षा की बात प्रमुख प्रावधानों में सम्मिलित है।

संदर्भ ग्रंथ

- अग्रवाल, उमेशचंद्र 2002, देश में बाल संरक्षण एवं कल्याण की रणनीति और प्रभाव योजना नवंबर।
- कुमार 1980 'प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट ऑफ प्राईमरी एजुकेशन इन कुरुक्षेत्र जिला' डेजरटेशन एमण्एडण्
- डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
- जान लीजिए ठान लीजिए–केयर इंडिया द्वारा प्रकाशित।
- दैनिक जागरण 13 फरवरी, 2006 सर्व शिक्षा अभियान की गति।
- बढ़ता बचपन 2013, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश।
- भारत सरकार 2002, इन्टीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट समीसेस वूमन एंड चाइल्ड डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ "ह्यूमन रिर्सोसस डेवलेपमेंट, दिल्ली।
- मिशन पोषण–निदेशालय समेकित बाल विकास परियोजना (महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश–2009)
- समेकित बाल विकास सेवाये–निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित–2011